कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन एंव वन्य जीव विभाग, हरदोई।

पत्रांक 1281 / 14–10–4 दिनांक, हरदोई, 28.9.2022

सेवा में,
प्रभागीय निदेशक / नोडल अधिकारी,
सा0वा0वन प्रभाग,
सीतापुर।

विषयः– वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत सीतापुर–हरदोई मार्ग (राजमार्ग–सं0–330डी) किमी0 33.200 से 38.800 के मध्य कुल 5.60 कि0मी0 की दूरी में मार्ग चौड़ीकरण से प्रभावित वन भूमि क्षेत्रफल 8.28 हे0 भूमि पर गैर वानिकी कार्य व बाधक 1200 वृक्षो के पातन की अनुमति हेतु प्राप्त प्रस्ताव का प्रेषण।

महोदय,

अवगत कराना है कि प्रस्तावक विभाग, अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0 कानपुर द्वारा सीतापुर–हरदोई मार्ग राजमार्ग–सं0–330डी (किमी0 0.0 से किमी0–33.150 तक जनपद–सीतापुर) व जनपद हरदोई मे किमी0–33.200 से 38.800 के मध्य कुल 5.60 कि0मी0 की दूरी में मार्ग का 2 लेन पेब्डसोल्डर, चौड़ीकरण एंव सुदृढीकरण का कार्य प्रस्तावित है।

अतः प्रभावित संरक्षित वन भूमि क्षेत्रफल 8.28 हे0 पर गैर वानिकी कार्य व बाधक 1200 वृक्षो के पातन की अनुमति हेतु प्राप्त प्रस्ताव को संलग्नक सहित (4 प्रतियों में) आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक– 04 प्रतियो मे प्रस्ताव मय पेनड्राइब

भवदीय

(रविशंकर शुक्ल)
प्रभागीय निदेशक
सा0 वा0 वन एंव वन्य जीव प्रभाग,
हरदोई।

पत्रांक / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, उ0प्र0 लखनऊ।
2– अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0 कानपुर।
3– उप प्रभागीय वनाधिकारी, सण्डीला।
4– क्षेत्रीय वन अधिकारी, कछौना।

(रविशंकर शुक्ल)
प्रभागीय निदेशक
सा0 वा0 वन एंव वन्य जीव प्र
हरदोई।

Scanned with OKEN Scanner